Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप. 1(16)साप्र/ग्रुप–5 09 पार्ट जयपुर, दिनांकः 3-6-13

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.2.2013 के द्वारा राज्य में स्थित समस्त विश्राम भवनों, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में हाउसकीपिंग कार्य को आउटसोर्स करके जॉब बेसिस पर कराने की स्वीकृति दी गई थी । इस क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं की पालना करने का श्रम करें:–

1. विश्राम भवनों के मैनेजरों द्वारा रोजमर्रा की टूट–फूट, रंग–रोगन संबंधित कार्यो को कराये जाने बाबत वर्तमान में अनुरक्षण एवं मरम्मत मद खुला हुआ नहीं है । अतः चालू वित्तीय वर्ष में इस व्यवस्था को कायम करने के लिए संबंधित विश्राम भवनों के कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध राशि में से इस हेतु व्यय किये जाने की सहमति दी जाती है । आवश्यकता होने पर कार्यालय व्यय मद के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रावधान कराया जा सकेगा ।
2. कार्यालय व्यय मद से संबंधित विश्राम भवनों के मैनेजरों को रोजमर्रा की टूट–फूट, रंग–रोगन संबंधित कार्यो को कराने बाबत निम्न शर्तो के अध्यधीन सहमति दी जाती है:–
   (i) विश्राम भवन के प्रत्येक कक्ष के लिए प्रतिवर्ष व्यय 1500/– (अक्षरे पन्द्रह सौ रूपये) की सीमा में ही किया जावें ।
   (ii) सेनेट्री, ज्योनरी/कारपेन्टरी, इलेक्ट्रिक कार्य संलग्न सूची के अनुसार ही मैनेजर स्तर से कराये जा सकेंगे । इसके अलावा कार्य पूर्व की भांति सार्वजनिक निर्माण विभाग से ही कराये जायेंगें ।
   (iii) अनुरक्षण/मरम्मत संबंधी कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही कराये जायेंगें ।

उक्त स्वीकृति वित्त(व्यय–2)विभाग के आई.डी. सं.101302195 दिनांक 23.5.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर0पी0मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. संयुक्त शासन सचिव,वित्त(व्यय–2)विभाग को उनके उपरोक्त संदर्भ में ।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस / जोधपुर हाउस, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
3. प्रबन्धक,समस्त विश्राम भवन, राजस्थान ।
4. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर ।
5. सामान्य प्रशासन(ग्रुप–4)विभाग को वित्त(व्यय–2)विभाग की टिप्पणी के साथ ।
6. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

L 166